जाति प्रमाण पत्र संबंधी
विशेष अभियान

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–42/2012/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 09 जून, 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर
जिलाध्यक्ष कार्यालय,
मध्यप्रदेश.

विषयः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जतियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में– विशेष अभियान।

संदर्भः–सा.प्र.वि. का पत्र क्रमांक एफ 7–42/2012/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनाक 13.01.2014 एवं निर्देश दिनांक 23.05.2014

––0––

जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनाक 13.01.2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। यह निर्देश आप सभी को बुकलेट के रूप में उपलब्ध कराये गये हैं। इन निर्देशों के तहत कक्षा पहली में प्रवेश लेते ही छात्र–छात्राओं को स्कूल के माध्यम से फार्म भरवाकर लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत कम्प्यूटराईज्ड तरीके से कार्यवाही को संपादित कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के डिजीटल हस्ताक्षरित जारी कर स्कूलों में ही वितरित किये जाने हैं। उक्त बुकलेट में जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन के प्रारूप संलग्न किये गये हैं। कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था में क्रियान्वित करने के लिए इन सभी प्रारूपों के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र के संशोधित प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं, यही प्रारूप अब मान्य होंगे। अतः इन्हीं प्रारूपों मुद्रित कराया जाना है। इसके अलावा जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की समय–सीमा 30 दिवस रखी गई है, किन्तु इस वर्ष (वर्ष 2014) में शिक्षा सत्र चालू होते ही इसे एक विशेष अभियान के रूप मे चलाया जाना है और निश्चित ही इस वर्ष आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी, इसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त समय–सीमा में भी वृद्धि की जा रही है। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं उसके निराकरण का कार्यक्रम इस परिपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 1002 द्वारा श्री दिनेश राय

2/ इस वर्ष (वर्ष 2014) में जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अभियान को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए निम्नांकित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. प्रत्येक जिले के संचालक, लोक सेवा केन्द्र इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार आवेदन पत्रों एवं घोषणा पत्र पर्याप्त मात्रा में मुद्रित करवाकर स्कूलों के संकुल केन्द्रों को दिनांक 25 जून 2014 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें।
2. स्कूलों के संकुल केन्द्रों के प्रभारी अपने अधीनस्थ सभी स्कूल (प्राईमरी स्कूल तक) जिसमें निजी स्कूल भी शामिल है, आवेदन–पत्र 30 जून तक उपलब्ध करायेंगे।
3. दिनांक 01 जुलाई से प्रारभ होने वाले शिक्षा सत्र में प्रवेश देने वाले बच्चों (उनके अभिभावक/पालक) को प्रवेश लेते समय ही उनके जाति प्रमाण–पत्र के आवेदन पत्र उपलब्ध करायेंगे तथा अधिकतम एक सप्ताह में उनके आवेदन पत्र/घोषणा पत्र की पूर्ति करवाकर वापिस लेंगे।
4. जिन बच्चों ने पूर्व वर्षों में प्रवेश ले लिया है, उन्हें/उनके पालक/अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर आवेदन पत्र दिए जाएं। यह कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम अनुसार की जाए।
5. स्कूल के प्रधानाध्याक/प्राचार्य या अधिकृत शिक्षक प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्कूल का "डायस कोड" अंकित कर अपनी हस्ताक्षर एवं स्कूल की मुहर लगाकर आवेदन पत्र अपने संकुल केन्द्र 15 जुलाई एवं 30 अगस्त तक (तीन बार आवश्यक हुआ तो 15–15 दिवस में) पहुचाएंगे।
6. प्रत्येक स्कूल में एक रजिस्ट्रार होगा, जिसमें छात्र–छात्रा का नाम, उन्हें आवेदन देने का दिनांक एवं प्रमाण पत्र प्रदाय करने का दिनांक अंकित किया जाएगा, ताकि निरीक्षण के दौरान इसका अवलोकन किया जा सकें।
7. निजी स्कूलों एवं केन्द्रीय स्कूलों के लिए भी उक्त व्यवस्था लागू होगी। संबंधित जिलाध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इन स्कूलों के प्रबंधक से चर्चा कर इस अभियान में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करें।
8. संबंधित लोक सेवा केन्द्र के आपरेटर संकुल केन्द्रों में जाकर स्वयं उपरोक्त आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे तथा उन्हें कम्प्यूटर में अपलोड करेंगे।
9. स्कूलों से प्राप्त आवेदन पत्र की साफ्ट कॉपी के अलावा प्राप्त की गई हार्ड कॉपी भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में जमा की जावेगी।
10. घोषणा–पत्र एक पृथक पृष्ठ पर होगा जिसे स्केन कर अपलोड किया जावेगा।
11. जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन 1 जुलाई से प्राप्त किए जाना है अतः 01 जुलाई से प्रारंभ होने वाले इस अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए योग्य वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें ।
12. प्रभारी अधिकारी या अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रबंधक लोक सेवा, आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक- 1002 द्वारा श्री दिनेश राय

विशेष
वाही

अधिकारी का एक समूह बनाए, जो इस अभियान के क्रियान्वयन की समस्त व्यवस्थाओं हेतु समन्वय करें ।

13. जिले के विकासखण्ड वार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आरक्षित वर्ग की छात्र संख्या का अनुमान लगाये ।
14. संभावित छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड के लिये लोक सेवा केन्द्र संचालकों को अतिरिक्त ऑपरेटर नियुक्त करने हेतु सलाह प्रदान करें ।
15. लोक सेवा केन्द्रों के अलावा आवश्यकता अनुसार जिले के नागरिक सेवा केन्द्रों (सीएससी) को भी इस कार्य के लिए तदनुसार जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा अपने–अपने जिलों के लिए निर्णय लेकर कार्यवाही करें।
16. लोक सेवा केन्द्र संचालकों / नागरिक सेवा केन्द्रों को प्रत्येक आवेदन की एन्ट्री के लिये लोक सेवा केन्द्रों की व्यवस्था अनुसार शुल्क शासन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा ।
17. डिजीटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र उच्छी क्वालिटी के पेपर में कलर प्रिंट एवं लेमिनेट करवा कर प्रदाय किया जाएगा। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।
18. कक्षा–12वी तक के स्कूली छात्र–छात्राओं के अतिरिक्त अन्य आवेदक जिनमें कॉलेज में अध्ययनरत् विद्यार्थी भी शामिल है, लोक सेवा केन्द्रों में सीधे आवेदन करेंगे और इस प्रकार के प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण संदर्भित परिपत्र दिनांक 13.01.2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार किया जाएगा।
19. इस विशेष अभियान को "स्कूल चलें हम" अभियान के तहत जोडा जाए तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, ताकि पालक / अभिभावकों को इसकी जानकारी हो सकें।

वर्ष 2014 के विशेष अभियान के लिए कार्यक्रम

क्र.	कक्षा	आवेदन पत्र लेने की समय–सीमा	निराकरण की समय–सीमा
1.	पहली में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए।	01 जुलाई से 14 अगस्त तक	30 नवम्बर
2.	दूसरी से 12वीं तक के ऐसे छात्र छात्राएं जिनके पास स्थाई जाति प्रमाण पत्र नहीं है।	16 अगस्त से 30 सितम्बर	31 दिसम्बर
3.	कक्षा दूसरी से 12वी तक के ऐसे छात्र–छात्राएं जिनके पास पूर्व से जाति प्रमाण पत्र है। नवीन व्यवस्था के तहत् नवीनीकरण / डिजीटाईजेशन हेतु।	01 अक्टूबर से 15 दिसम्बर	31 मार्च, 2015 तक

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 1002 द्वारा श्री दिनेश राय

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23 मई, 2014 ए... निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त निर्देशों से सर्वसंबंधितों को अवगत कराएं।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 7-42/2012/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 09 जून, 2014
प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल.
3. अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय.
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़, मंत्रालय, भोपाल.
5. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
6. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
7. सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
8. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
9. श्री अविनाश लदानिया, एक्जी. डायरेक्टर, आई.टी. सेंटर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
10. श्री अम्बरीश श्रीवास्तव, संचालक (प्रशासन), राज्य लोक सेवा अभिकरण, स्टेट आई.टी. सेंटर, भोपाल।
11. श्री विनायक राव, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन, भोपाल.
12. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश.
12. समस्त संचालक, जिला लोक सेवा केन्द्र, मध्यप्रदेश.
13. समस्त जिला प्रबंधक, लोक सेवा, मध्यप्रदेश.

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग